

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Parties or Pleaders where necessary
21/2/17	<p>आवेदक/आरोपी <u>डबू उर्फ राजपाल राजपूत</u> की ओर से श्री <u>B. S. यादव एव</u> अधिवक्ता ने एक जमानत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 438/439 जा0फो0 का पेश किया।</p> <p>नकल संबंधित थाना प्रभारी की ओर भेजकर केश डायरी मय प्रतिवेदन बुलाया जाये/संबंधित अभिलेख बुलाया जावे।</p> <p>आवेदन विविध आपराधिक पंजी में दर्ज किया जावे।</p> <p>प्रकरण केश डायरी प्रतिवेदन/अभिलेख प्राप्ति/तर्क हेतु दिनांक <u>27/3/17</u> को पेश हो।</p> <p>पो सी आर्य विशेष न्यायाधीश (डकैती) गोहद जिला- भिण्ड (म.प्र.)</p>	
<p>07/03/2017</p> <p>01:30</p> <p>70</p> <p>01:45 P.M.</p>	<p>अपीलार्थी/आरोपी डबू उर्फ राजपाल द्वारा श्री ब्रजेन्द्रसिंह यादव अधिवक्ता।</p> <p>अनावेदक शासन द्वारा श्री बघेल अपर लोक अभियोजक उपस्थित।</p> <p>मूल डकैती प्रकरण क्रमांक-41/2015 पेश।</p> <p>अनावेदक द्वारा जमानत आवेदनपत्र का कोई लिखित जवाब पेश नहीं करना व्यक्त किया है।</p> <p>थाना मौ के अप.क.-32/2010 में अपीलार्थी/आरोपी डबू उर्फ राजपाल के आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. पर उभयपक्ष को सुना गया।</p> <p>आरोपी/आवेदक डबू उर्फ राजपाल का कहना है कि वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अहमदावाद चला गया था। इस कारण तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका इस कारण उसके जमानत मतुचलके जब्त कर गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया। गांव वापिस आया और भिण्ड न्यायालय में जानकारी ली तो पता चला कि उक्त प्रकरण गोहद न्यायालय में स्थानांतरित किया जा चुका है। वह करीब एक माह से गोहद जेल में निरुद्ध है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा</p> <p>21/3/17 पो सी आर्य विशेष न्यायाधीश (डकैती) गोहद जिला- भिण्ड (म.प्र.)</p>	

सह आरोपीगण प्रदीप, पिकी और बंटा की जमानत स्वीकार की जा चुकी है, उसका मामला उससे भिन्न नहीं है इसलिये उसे भी जमानत पर रिहा किया जावे। वह जमानत की शर्तों का पालन करेगा, समर्थन में शिवेन्द्रसिंहे का शपथपत्र पेश किया गया है।

जबकि ए.जी.पी. का कथन है कि आरोपी/आवेदक द्वारा बताया गया कारण बिल्कुल भी संतोषप्रद नहीं है अतः उसका जमानत आवेदनपत्र स्वीकार किए जाने पर आपत्ति होना बताते हुए व्यक्त किया है कि आरोपी/आवेदक डब्बू उर्फ राजपाल प्रकरण में फरार रहा है, वह जमानत का लाभ लेकर दुबारा फरार हो जायेगा, इसलिये उसका जमानत आवेदनपत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया, प्रकरण के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक-13/05/2015 को यह प्रकरण गोहद तहसील में डकैती न्यायालय का गठन होने से अंतरण पर भिण्ड न्यायालय से प्राप्त हुआ था, उक्त पेशी पर आरोपी डब्बू उर्फ राजपाल अनुपस्थित रहा जिस कारण उसके जमानत मुचलके निरस्त किए गये और गिरफ्तारी वारण्ट से आहूत किया गया। एवं दि0-14/10/2015 को उसे फरार घोषित किया गया। प्रकरण में उपस्थित आरोपियों का निर्णय किया गया। जारी स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट के पालन में आरोपी/आवेदक डब्बू उर्फ राजपाल को दिनांक-24/01/2017 को गिरफ्तार कर पेश किया गया तब से वह न्यायिक निरोध में है।

आरोपी/आवेदक डब्बू उर्फ राजपाल की अनुपस्थिति में अभियोजन साक्षी क्रमांक-01 लगायत-07 के कथन हुए हैं, उक्त साक्षीगण को पुनः तलब किया जा रहा है, जिससे प्रकरण में कार्यवाही विलंबित हुई है। यदि आरोपी/आवेदक डब्बू उर्फ राजपाल को पुनः जमानत का लाभ दिया गया तो उसके पुनः अनुपस्थित होकर फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए वाद विचार आरोपी/आवेदक डब्बू उर्फ राजपाल की ओर से

13/12
पी. सी. अंत
विशेष न्यायाधीश (डकैती)
गोहद जिला- भिण्ड (म.प्र.)

Order Sheet [Contd]

Case No. BA . . 881 of 2017

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र के माध्यम से जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा-439 जा.फौ. गुण दोषों पर टीका टिप्पणी किए बिना निरस्त किया जाता है।</p> <p>आदेश की प्रति मूल प्रकरण में संलग्न हो। परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकॉर्ड हो।</p> <p style="text-align: center;">(पी0सी0 आर्य)</p> <p style="text-align: center;">विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद</p>	